31.10.18 वकालत उपप्र अजमेर 4/2 एवं 4/3 की तामीली नहीं हुई एक माह से अधिक समय हो चुका है अवधि बढ़ाई गई अतः श्री एक मौका कार्यवाही की गई है अभियोजन पक्ष ने इस प्रकार मामले को ही समाप्त माना जाने का कथन किया है जो स्वीकार किया जाता है बाकी बचा गणपत पत्रावली दिनांक 4.11.18 को पेश हो।

4.11.18 पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 18.11.18 को पेश हो।

18.11.18 वकालत उपप्र प्रा पद पर पक्ष हेतु समय मांग है समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 29/11/18 को पेश हो।

29.11.18 पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 9.12.18 को पेश हो।

9/12/18 वकालत उपप्र पक्ष सुनी गई। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं ने कथन किया है कि दोनों ही पक्षकारान को मामले के समझौता पश्चात जरीये इकरारनामा निपटारा कराया जाना उचित है। अतः श्रीमान गणपतराम के पक्ष 261, 262, 269, 271, 272, 273, 262 के पक्षकारान आपसी राजीनामे एवं इकरारनामे को ना फैसला पाद जरीये इकरारनामा निपटारा किया जाता है कि वह किसी भी रूप में भूमि का बेचान, हस्तान्तरण रहन इत्यादि नहीं करें, तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें, तहसीलदार सेलमा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर रूल पार के अलग रहे।

आदेश आज सुने इजलास खुला गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

T.J. 41/08
कोहली देवी v/s कुंभाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 10:53:56 IST
Reason: SelfAttested